राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/ 5218–5408 दिनांक :– 1/9/17

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :– घर–घर कचरा संग्रहण (Door to door collection) एवं कचरे के परिवहन की व्यवस्था प्रत्येक निकाय मे दिसम्बर 2017 तक किये जाने के सम्बन्ध मे।

विषयान्तर्गत लेख है, कि निकायो मे समस्त वार्डो मे 100 प्रतिशत घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य दिसम्बर 2017 तक किया जाना है। इस हेतु आपको पूर्व मे बार–बार निर्देशित किया जाता रहा है।

वर्तमान मे कुल वार्डो मे से 60 प्रतिशत वार्डो मे ही घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य शुरू हो पाया है। विभागीय स्तर पर एवं DGS&D R/c (GeM) पर स्वीकृत दरों पर घर–घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन हेतु आवश्यक उपकरण/वाहन आप सीधें ही स्वीकृत दरो पर क्रयादेश जारी कर क्रय कर सकते है।

नगर निकायो द्वारा स्वीकृत दरो पर उपकरण/वाहन क्रय किये गये है, जो 100 प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन हेतु पर्याप्त नही है। आप अपनी अपनी निकाय मे आवश्यक उपकरण समुचित मात्रा मे क्रय करते हुये 100 प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन किये जाने की व्यवस्था करावे। आवश्यक उपकरणो/वाहनों का क्रय तय समय सीमा मे करते हुये उनका भुगतान भी निर्धारित अवधि मे किया जाना सुनिश्चित करे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है, कि दिसम्बर, 2017 तक 100 प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन करवाने की समुचित व्यवस्था करते हुये स्वच्छ भारत मिशन के SWM घटक मे उपलब्ध राशि एवं निकाय के अंशदान की राशि का उपयोग कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवावे, जिससे आपको राशि हस्तान्तरित की जा सकें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/ 5409 – 5647 दिनांक :– 1/9/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, निदेशालय।
4. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता